भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *118
दिनांक 11 फरवरी, 2025 / 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करना

†*118. श्री बलराम नाइक पोरिकाः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का गोरबोली और राजस्थानी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *118, दिनांक 11.02.2025

‘भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करना’ के संबंध में दिनांक 11.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *118 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): वर्तमान में, संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं अर्थात (1) असमी, (2) बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगु, (18) उर्दू, (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली और (22) डोगरी।

‘गोरबोली और राजस्थानी’ सहित, समय-समय पर संविधान की आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने की मांग उठती रहती है। हालाँकि, किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनितिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबंधित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है।

******